2025 / 318

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 129 / 2025 प्रा.पत्र
श्री चीमनलाल बनाम दिनेशचन्द्र
निर्णय प्रा.पत्र 128 एल.आर. एक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला सांईकृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 129 / 2025 (128 भू.राज. अधि.) प्रा.प. GCMS No. 2025/318

श्री चीमनलाल पिता श्री भीमशंकर जी जाति सालवी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) जरिये अधिकारगृहिता नरेश डांगी पिताश्री केसुलाल जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी 52, मनवाखेड़ा, हि.म.से.4, उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेशचन्द्र पिता श्री पुरीलाल जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सुखेर, तहसील बड़गांव, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (राज.)

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री भूरालाल डांगी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 29.04.2026

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा, पटवार हल्का कलड़वास तहसील गिर्वा के हल्के बैरूनी में श्री चीमनलाल पिता श्री भीमशंकर जाति सालवी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) जरिये अधिकारगृहिता नरेश डांगी पिताश्री केसुलाल जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी 52, मनवाखेड़ा, हि.म.से.4, उदयपुर के नाम आराजी संख्या 2808 / 2805 किता 1 रकबा 0.0020 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त भूमि के पास विपक्षी की आराजी सं. 2804 / 1702 स्थित है, जिस पर विपक्षी सं. 1 प्रार्थी की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप कर आये दिन सीमा विवाद करते है। इस आराजीयात की पुख्ता सीमा बन्दी या निशानात नहीं होने से आये दिन विपक्षीगण से सीमा बन्दी को लेकर मनमुटाव बना रहता है। प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2025 को विपक्षी को मौके पर बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु गये तो लड़ाई–झगड़ा किया व पटवारी हल्का को ले जाकर सीमांकन कर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु कहा तो उन्होने मनाही कर दी तथा न्यायालय के

2025/318

आदेश से सीमाकंन व पत्थरगढ़ी करने हेतु कहा, जिससे वादकारण उत्पन्न हूआ जो निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को आदेश प्रदान करे कि उक्त आराजीयात की मौके पर जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन कर पत्थरगढी करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया, विपक्षीगण की तामिल पूर्ण होकर जवाब हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण को जवाब हेतु समूचित अवसर प्रदान करने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से उनके जवाब अवसर बंद किए गए तथा उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात में विपक्षीगण अनाधिकृत प्रवेश करते रहते है जिससे पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत अवलोकन कर अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम मनवाखेडा, पटवार हल्का कलड़वास के प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आराजी संख्या 2808/2805 किता 1 रकबा 0.0020 हैक्टेयर भूमि श्री चीमनलाल पिता श्री भीमशंकर जी जाति सालवी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) के नाम दर्ज होकर यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकारगृहिता नरेश डांगी पिताश्री केसुलाल जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी 52, मनवाखेड़ा, हि.म.से.4, उदयपुर के प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के आराजीयात से लगती हूई विपक्षी की खातेदारी भूमी आराजी सं. 2804/1702 रकबा 0.0067 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी व विपक्षी की आराजीयात आस-पास होने से सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न होना प्रथम दृष्टया होना प्रतीत होता है। प्रार्थी उक्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज होने से अपने खाते में दर्ज आराजीयात का सीमांकन एवं पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के पश्चात न्यायालय का विन्रम अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की आराजीयात की पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 129/2025 प्रा.पत्र
श्री चीमनलाल बनाम दिनेशचन्द्र
निर्णय प्रा.पत्र 128 एल.आर. एक्ट

2025/318

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को 1000/– रु. के शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए आदेश दिया जाता हैं कि उभयपक्ष को सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा, पटवार हल्का कलड़वास के आराजी संख्या 2808/2805 किता 1 रकबा 0.0020 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी सं. 2804/1702 रकबा 0.0067 हैक्टेयर भूमि के मध्य राजस्व नक्शा अनुसार सीमांकन कर पत्थरगढी की कार्यवाही करावे एवं पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

(ए. साईकृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर